न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 87 / 2014
आरसीएमएस नम्बर– 2014 / 00304

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
सुरेश कुमार पुत्र नारायण जी जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव तहसील बाली		1 रघुनाथसिंह पुत्र ओटरमलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव तहसील बाली 2 ग्राम पंचायत शिवतलाव जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री पवन सिंघल, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक 31/7/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 106 / 2003–2004 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.11.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 19.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने मकान के लगती हुई भूमि का भू–पट्टी के रूप में आवंटन कराने का निवेदन किया। जबकि जैर निगरानी विवादित आराजी के पास में अप्रार्थी संख्या 1 का कोई भी मकान अथवा भूमि स्थित नहीं हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी रास्ते की भूमि हैं, जिसका विधि अनुसार पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसमें किसी प्रकार के नाप अंकित नहीं हैं। सम्पूर्ण मिसल में विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए कार्यवाही की गई तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया, जो विधि विरूद्ध हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.06.2015 को निर्णय पारित किया जा चुका था। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के

अति० जिला कलक्टर, पाली

समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी नया तथ्य अथवा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जो प्रकरण की परिस्थितियों को परिवर्तित अथवा प्रभावित करता हो। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि विरूद्ध होने से खारिज़ करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी होने के 10 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो मियाद बाहर होने से ही खारिज़ योग्य हैं। प्रार्थी जिस रास्ते का जिक्र कर रहे है, उसके समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं किया है, जो इस तथ्य की ताईद करता हो, कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी हुआ है, वह रास्ते की भूमि पर बना हो। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जो पड़ौस अंकित किए गए है, वह गलत हैं। उक्त आराजी प्रार्थी की भूमि के चिपते हुए है, जिस पर अप्रार्थी काबिज हैं। इस तथ्य को ग्राम पंचायत द्वारा छुपाया गया हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायत के समक्ष पट्टा प्रदान कराने हेतु निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर निगरानी मिसल के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने पट्टासुदा मकान के पास स्थित भू–पट्टी का पट्टा प्रदान कराने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर जो मिसल कायम की गई, उसकी आदेशिका दिनांक 16.03.2004, जिसमें सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किए, आदेशिका दिनांक 06.04.2004, जिसमें तीन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया, आदेशिका दिनांक 21.04.2004, जिसमें एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, आदेशिका दिनांक 21.06.2004, जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होना तथा आदेशिका दिनांक 06.07.2004, जिसमें मिसल निर्णय हेतु नियत किया जाना, उक्त समस्त आदेशिकाओं पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। इसके पश्चात मिसल दिनांक 06.11.2004 को कोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए। ग्राम पंचायत के समक्ष सचिव द्वारा जो नक्शा मौका प्रस्तुत किया, उसमें वांछित भूमि के पडौस ही अंकित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त तीन पंचों के स्थान पर दो पंचों द्वारा ही मौका निरीक्षण किया गया। आपत्ति इश्तिहार कब जारी किया गया तथा किन व्यक्तियों की मौजूदगी में किस स्थान पर चस्पा किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा किन

अधि० जिला कलक्टर, पाली

व्यक्तियों के बयान कलमबद्ध किए गए, उनकी वल्दियत, सकूनत अंकित ही नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह प्रक्रियागत उचित नहीं हैं। जहां तक भू–पट्टी हेतु भूमि आवंटन के प्रावधान है, इस हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 144 में भूमि–पट्टी के आवंटन के प्रावधान है, जिसमें यह प्रावधित है कि "(1) पंचायत 100 वर्गगज तक की कोई भूमि पट्टी निवासीय प्रयोजनों के लिए 200 वर्गफुट तक की भूमि पट्टी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान बाजार मूल्य पर आवंटित कर सकेगी। (2) भूमि पट्टी केवल उन्ही व्यक्तियों को आवंटित की जावेगी, जिनका विद्यमान मकान/दुकान ऐसी पट्टी से लगती हुई है और उसके लिए अन्य कोई भी आवेदक नहीं हैं। (3) एक से अधिक व्यक्तियों के मकानों/दुकानों के पट्टी से लगी हुई होने के मामले में उन्हे नीलाम किया जायेगा।" इन नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण हाजा में ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही नियम 144 में कवर नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह भी विधि सम्मत नहीं हैं। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज.) 1995 पेज 458 के पैरा संख्या 4 में यह अभिनिर्धारित किया कि "Rules 255 to 265 of the Rajasthan Panchayat and Nyaya Panchayat (General) Rules, 1961 prescribed an elaborate procedure for the sale of abadi land which require filing an application for purchase, publication of notice, disposal of objections and then public auction of the land at which every intending purchaser gets equal opportunity for making the purchase. In view of the uncontroverted averments in the petition it must be accepted that no auction atleast as required by these Rules was held by the Gram Panchayat. That apart equal opportunity to all intending purchasers to purchase any public property is also the requirement of Article 14 of the Constitution. Since the distribution of the State largess cannot be made arbitrarily by any public functionary, the sale of this land to respondents no. 4 and 5 is, therefore, clearly invalid. This being so and the petition having been admitted for hearing in the year 1979 there is no occasion to decline interference even in such a situation on the ground of existence of an alternative remedy. As already indicated there is a clear violation not only of the Rules but also of Article 14 of the Constitution" हस्तगत प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें नियमों को पूर्णतः अनदेखा किया गया हैं। वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि प्रकरण में पंचायत द्वारा अंकित पड़ौस को गलत होना बताते हुए उक्त भूमि अपने मकान के पड़ौस में स्थित होना बताया हैं। चूंकि उक्त तथ्य पूर्व में परीक्षित ही नहीं हुआ हैं तथा प्रकरण में पंचायत द्वारा प्रक्रियागत त्रुटी पाई गई हैं। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः विधिवत जांच एवं सुनवाई हेतु ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

वरि० जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 106 / 2003–2004 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.11.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 19.12.2004 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत शिवतलाव को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विवादित आराजी की मौका जांच कर पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 3/9/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली